फर्द अहकाम

रामकिशोर बनाम राम सेवक

नाम न्यायालय

केस संख्या 19/2016 136 LRA

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/11/19	प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता व वकालतनामा को बार-बार आवाज दिलाई गई अप्रार्थी अधिवक्ता व वकालतनामा उपस्थित है। अप्रार्थी अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आगे के लायी जाती है। प्र. पत्र 022 RY की बहस प्रार्थी की सुनी गई अतः प्र. पत्र 022 RY का स्वीकार किया जाता है। संबोधित प्रेषक पेश हुआ। जो डाकिया पत्रावली किया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस अन्तिम सुनी गई। विपक्षी के प्र. पत्रों को देखने के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्र. पत्रों को देखने के लिये किया गया है कि प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम विकासपुरा उर्फ चावनपास पंचायती समिति 2020-2025 खाता संख्या 123 के प्रार्थीगण की कृषि गत पंचायती समिति 2034 से 2037 के खाता संख्या 103 के प्रार्थीगण के विनियत सुखाना, राम नाथ पिता मूल हि: 3/4, पुत्र [illegible] पिता खेतू हि: 1/4 हि: अवावश्य कोण जार सा: डेह कि डेह जिसका डाल गांस से. 91 मा	

उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

आया था पिछले उभावनी के खाते आराम का हिस्सा उक्त उभावनी के अनुसार सही है जो खातेदार मोहनी पत्नी मोगूराम हि.1/8, रामकिशोर पुत्र मोगूराम हि. 5/24, सरदार पुत्र सेडू हि. 1/24 बेबी पुत्र सेडू हि. 1/8 विमल देवी दुलाराम पुत्र सेडू हि. 1/6 सहित OBC शारदा तिवारीपत्नी अर्जुनराम हि. 3/648 ना. बा. सरदारी काल ननदी उनकी सुशीला पुत्री सोहनराम, ननदी उनकी पत्नी सोहनराम हि. 1/642 विमलादेवी अर्जुनराम, सोहनराम मदनराम पि. गोवाराम हि-1/6 सहित रा. ग. ना. बैंक शारदा गोवालकरण अर्जुनराम सोहन, मदनराम पि. गोवाराम हि. 1/12 को जाट रा. देह खातेदार दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है जिसके संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध नहसीलदार चौमू की रिपोर्ट दिनांक 8/6/2016 के उक्त दुरुस्ती किया जाना उचित बताया गया है तथा उभयपक्षीय सेवय

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		2 व 3 के तुरत की प्रभावनी स्वत्वा 2034 के 2033 के अनुसार दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।	
		प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 CrPC का एवं रिपोर्ट बहसीलदार चौमू दिनांक 8/6/2016 का अवलोकन से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा बहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 8/6/2016 के अनुसार राजस्व विवाद्य को दुरुस्त किये जाने के बहसीलदार बहसील चौमू को आदेश दिया जाता है कि पैमाइश हेतु बहसीलदार चौमू को लिखा जावे। पत्रावली पैमाइश आगार होकर पूर्ण हस्तगत से कार्य हो तथा दोनों पक्षकार के बहसीलदार बहसील चौमू की रिपोर्ट दिनांक 8/6/2016 उक्त लिखे का माना देवेगी। लिखे जाप दिनांक 20/11/19 को सुने न्यायालय के सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.10 12:40:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: